IJARSCT
ISSN (Online) 2581-9429
International Journal of Advanced Research in Science, Communication and Technology (IJARSCT)
Volume 2, Issue 1, November 2022
Impact Factor: 6.252

घरेलू हिंसा पर वैश्वीकरण प्रभाव का एक अध्ययन (रीवा जिले के विशेष संदर्भ में)

डॉ. प्रियंका पाण्डेय
अतिथि विद्वान समाजशास्त्र
शासकीय ठाकुर रणमत सिंह महाविद्यालय, रीवा (म.प्र.)

सारांश –

महिलाओं के साथ मानसिक व शारीरिक रूप से रंग–भेद या अन्य किसी भी कारण से किया गया असहनीय व्यवहार घरेलू हिंसा कहलाता है। घरेलू हिंसा अधिनियम का निर्माण सन 2005 में किया गया और 26 अक्टूबर 2006 से लागू किया गया। यह अधिनियम के अंतर्गत कार्यवाही महिला बाल विकास द्वारा संचालित किया जाता है। हमारे देश में बालिकाओं में शिक्षा का सबसे बड़ा कारण निर्धनता है। आज ज्यादातर ग्रामीण महिलाओं में शिक्षा तथा कमजोर मनोबल पाया जाता है भारतीय समाज में घरेलू हिंसा से तात्पर्य महिलाओं के निकट रिश्तेदारों जैसे माता–पिता, भाई–बहन, सास–ससुर, ननद–भाभी या परिवार के किसी सदस्य अथवा अन्य व्यक्तियों द्वारा किया जाने वाला हिंसात्मक व्यवहार है जो नारी को शारीरिक, मानसिक आघात पहुंचा है। महिलाओं को शारीरिक मानसिक व मौखिक इत्यादि प्रताडित किये जाने वाला कार्य घरेलू हिंसा कहलाता है। महिलाओं को आज अनेक प्रकार से प्रताड़ित किया जाता है विधवाओं को अनेक अधिकारों से वचित रखा जाता है उन्हे अनेक प्रकार के कस्ट दिये जाते हैं। यहा तक कि दहेज को लेकर नारी को जिन्दा जला दिया जाता है। वैश्वीकरण के दौर में नारी की मुश्किलें बढ़ते मशीनीकरण से नौकरियों में असुरक्षा, कम वेतन, परंपरागत हुनर की अनदेखी, विदेशी कंपनियों की मनमानी शर्त, उनके समक्ष हमारे कानूनों की असमर्थता बढ़ता भ्रष्टाचार, ये परिस्थितियां औरत को न्याय दिलाने में असमर्थ है वैश्वीकरण के कारण विकसित देशों में महिलाए निर्धानता एवं भेदभाव का शिकार हो रही है। एक ही तरह के काम में पुरुष और महिला में भेदभाव किया जा रहा है दोनों के वेतन में भिन्नता है आज भी महिलाएं अशिक्षा, कुपोषण और निर्धनता का शिकार हो रही है आज जरूरत इस बात की है कि महिलाओं के श्रम को सीधो उत्पादन से जोड़ा जाए। उसका उत्पादन से सीधा संबंध सुनिश्चित नहीं होता जबकि परोक्ष रूप से उसका श्रम उत्पादन में सहायक होता है। इसी कारण से पुरुष विशिष्ट हो गए और औरत महत्वहीन रह गई।

मुख्य शब्द :– अत्याचार, वैश्वीकरण, पारिवारिक संबंध, घरेलू हिंसा आदि।

सन्दर्भ ग्रन्थ सूची :–

1. सिंह डॉ निशात (2011)–अपराध बनाम महिलाएँ खुशी प्रकाशन, दिल्ली।
2. डॉ. ममता (2010)– घरेलू हिंसा अधिकारों के प्रति जागरूकता प्रो आभा एव आहूजा प्रकाशन दिल्ली।
3. सक्सेना एस.सी (1992) श्रम समस्या एवं सामाजिक सुरक्षा, रस्तोगी पब्लिकेशन शिवाजी रोड मेरठ